न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 157/2015/डिक्री

राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. प्यारचंद पिता बद्रीलाल जागेटिया मृतक के बजाय –
   1. कंचनदेवी पत्नि प्यारचंद जागेटिया
   2. राजेन्द्र पिता प्यारचंद जागेटिया
   3. अशोक पिता प्यारचंद जागेटिया
   4. मुकेश पिता प्यारचंद जागेटिया
   5. गोपाल पिता प्यारचंद जागेटिया
   6. कुसुम पत्नि जगदीश मण्डोवरा पुत्री प्यारचंद जागेटिया
   7. स्नेहलता पत्नि देवेन्द्र कोठारी पुत्री प्यारचंद जागेटिया

   सभी निवासी 144 शास्त्री नगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 13/04/2015 प्रकरण संख्या 16/2006

उपस्थित – 1. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक
2. श्री शांतिलाल बसेर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक – 28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 16/2006 प्यारचंद पिता बद्रीलाल जागेटिया निवास चित्तौडगढ़ बनाम राजस्थान सरकार मे दिनांक 13/04/2015 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188, 82 के अन्तर्गत वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमे निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए ग्राम सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 1753 रकबा 0.37 है0 एवं 1754 रकबा 0.88 है0 कुल किता 2 रकबा 1.25 है0 भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्यारचंद जागेटिया को खातेदार घोषित किया तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर राजस्थान सरकार जरिये

जिलाधीश चित्तौडगढ एवं भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पाबन्द किया कि वह वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न किसी अन्य से करावे। साथ ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये गये जो निम्न आधारो पर विधि विरूद्ध होने से एवं क्षैत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की है।

2. रेस्पोडेन्ट प्यारचंद पिता बद्रीलाल जागेटिया को ग्राम सेंती की साबिक आराजी नम्बर 692/7 रकबा 4 बीघा किस्म नहरी भूमि का आंवटन प्रकरण संख्या 134/68 दिनांक 10/04/1970 से एवं इसी प्रकार आराजी नम्बर 692/10 रकबा 2 बीघा नहरी भूमि का आंवटन प्रकरण संख्या 1524/69 दिनांक 30/05/1970 से नहरी भूमि का आंवटन नियमो के अन्तर्गत किया गया। रेस्पोडेन्ट को की गई उक्त आंवटित भूमि का आंवटन निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (उपनिवेशन) चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 144/75 सरकार बनाम प्यारचंद जागेटिया चित्तौडगढ मे निर्णय दिनांक 26/12/1977 से उक्त आंवटित भूमि का आंवटन निरस्त किया गया तत्पश्चात् उक्त आंवटन को अंतिम रूप से न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निरस्त किया गया उनके द्वारा निरस्त किये जाने पर न्यायालय के निर्णय की पालना मे तहसीलदार चित्तौडगढ के पत्रांक राजस्व/11/80–81/ दिनांक 24/02/1981 पटवारी हल्का सेंती को निर्देशित किया गया कि मौके से आंवटी को बेदखल किया जाकर भूमि को तहवील सरकार ली जावे जिसकी पालना मे पटवारी हल्का सेंती द्वारा नामान्तकरण संख्या 828 दायर किया जाकर उक्त ग्राम सेंती की आराजी नम्बर 692/7 रकबा 4 बीघा आराजी नम्बर 692/10 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1754 रकबा 0.89 है तथा 1753 रकबा 0. 37 है0 भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हुई तत्पश्चात उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 364 से नगर पालिका के नाम दर्ज जिसकी अपील किये जाने पर अपील स्वीकार होने से नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 30/08/1995 से पुनः रिकार्ड मे बिलानाम दर्ज हुई। उक्त बिलानाम भूमि का जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये प्रकरण संख्या राजस्व/12–3/(33)04 दिनांक 28/04/2004 से पुलिस विभाग को राजकीय प्रयोजनार्थ आंवटित की गई जो नियमानुसार की गई। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 व 92 के प्रावधाना निजी खातेदारी की भूमियो पर कार्यवाही किये जाने के लिये है न कि राजकीय बिलानाम भूमि पर कार्यवाही किये जाने के लिये। उक्त नियमो के अन्तर्गत

राजकीय बिलानाम भूमि अगर कोई होती है तो उस पर कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। अपील अन्दर मयाद पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 13/04/2015 को पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे और इस दौरान अगर किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड परिवर्तन किया जाता है या किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाता है तो उसे भी निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट (राजकीय अभिभाषक) ने बयान किया कि रेस्पोडेन्ट प्यारचंद पिता बद्रीलाल जागेटिया को ग्राम सेंती की साबिक आराजी नम्बर 692/7 रकबा 4 बीघा किस्म नहरी भूमि का आंवटन प्रकरण संख्या 134/68 दिनांक 10/04/1970 से एवं इसी प्रकार आराजी नम्बर 692/10 रकबा 2 बीघा नहरी भूमि का आंवटन प्रकरण संख्या 1524/69 दिनांक 30/05/1970 से नहरी भूमि का आंवटन नियमो के अन्तर्गत किया गया। रेस्पोडेन्ट को की गई उक्त आंवटित भूमि का आंवटन निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (उपनिवेशन) चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 144/75 सरकार बनाम प्यारचंद जागेटिया चित्तौडगढ मे निर्णय दिनांक 26/12/1977 से उक्त आंवटित भूमि का आंवटन निरस्त किया गया तत्पश्चात् उक्त आंवटन को अंतिम रूप से न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निरस्त किया गया उनके द्वारा निरस्त किये जाने पर न्यायालय के निर्णय की पालना मे तहसीलदार चित्तौडगढ के पत्रांक राजस्व/11/80–81/ दिनांक 24/02/1981 पटवारी हल्का सेंती को निर्देशित किया गया कि मौके से आंवटी को बेदखल किया जाकर भूमि को तहवील सरकार ली जावे जिसकी पालना मे पटवारी हल्का सेंती द्वारा नामान्तकरण संख्या 828 दायर किया जाकर उक्त ग्राम सेंती की आराजी नम्बर 692/7 रकबा 4 बीघा आराजी नम्बर 692/10 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1754 रकबा 0.89 है तथा 1753 रकबा 0.37 है0 भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हुई तत्पश्चात उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 364 से नगर पालिका के नाम दर्ज जिसकी अपील किये जाने पर अपील स्वीकार होने से नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 30/08/1995 से पुनः रिकार्ड मे बिलानाम दर्ज हुई। उक्त भूमि रिकार्ड मे आज भी रकबाराज है। अपील मे प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13/04/2015 को हुआ है तथा अपील दिनांक 07/07/2015 को पेश हुई है जो लगभग 1 माह देरी से है जिसका कारण यह है कि शपथ पत्र मे देरी का कारण यह उल्लेखित किया है कि अपील दायर करने के लिये

सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने मे समय लगा। अतः लिमिटेशन का लाभ देते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण धारा 88, 89, 92 तथा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय 1955 के तहत प्रस्तुत हुआ था जिसका प्रकरण संख्या 16/2006 है तथा उक्त वाद का निर्णय दिनांक 13/04/2015 को हुआ है। निर्णय उभयपक्ष को सुनकर किया गया है। उक्त अपील दिनांक 07/07/2015 को न्यायालय मे पेश हुई जो लगभग 1 माह देरी से है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र मे उल्लेखित आधार पर्याप्त नही है तथा किसी प्रकार के दस्तावेज पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही हुए है। ऐसी स्थिति मे अपील लिमिटेशन मे खारीज होन`योग्य है। दावे मे ग्राम सेंती के खसरा नम्बर 692/7 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 692/10 रकबा 2 बीघा कुल 6 बीघा रेस्पोडेन्ट को आंवटित हुई है। सेटलमेन्ट के पश्चात् खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.88 तथा खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.37 है0 कुल 1.25 है0 भूमि को लेकर यह विवाद है। आंवटन के पश्चात् इंतकाल संख्या 261 दिनांक 11/04/1970 से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम गैर खातेदारी के रूप मे दर्ज हो गयी तथा इंतकाल संख्या 828 दिनांक 30/06/1981 के माध्यम से उक्त भूमि पुनः रकबाराज हो गयी है। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा किये गये भूमि आंवटन आदेश के माध्यम से इंतकाल संख्या 364 के माध्यम से उक्त भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज हो गयी । उक्त आंवटन आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय प्रस्तुत की गई जिसका नम्बर 103/2004/एलआर है जिसमे अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 19/07/2005 को जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/04/2004 के माध्यम से किये गये आंवटन आदेश को निरस्त कर देने के फलस्वरूप भूमि पुनः नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 30/08/1995 के माध्यम से बिलानाम सरकार दर्ज हो गयी। राजकीय अभिभाषक को यह पूछे जाने पर कि क्या राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के उक्त निर्णय के विरूद्ध कही अपील दायर की गई है? पर राजकीय अभिभाषक ने बताया कि ऐसी कोई अपील राज्य सरकार द्वारा दायर नही की गई है। सेटलमेन्ट के दौरन उक्त भूमि रकबाराज घोषित करने के कारण इसकी अपील भू–प्रबन्धक अधिकारी भीलवाडा की पेशी की गई है। जिसमे अपील स्वीकार करते हुए पारित निर्णय के द्वारा नामान्तकरण संख्या 828 दिनांक 30/06/1981 खारीज कर दिया गया। जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा मुकदमा नम्बर 5/1984 अनुवानी पटवारी हल्का सेंती बनाम

श्री प्यारचंद मे पारित निर्णय दिनांक 11/06/1984 के द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया – '' विपक्षी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के यहां पेश की अपील मे नामान्तकरण संख्या 828/30.06.1981 अपील अपीलान्ट स्वीकार कर खारीज कर दिया गया जिससे जमीन वापस विपक्षी के खाते ही मानी जानी चाहिये। चूकि उक्त निर्णय से जमीन वापिस विपक्षी के खाते मे मानी जावेगी अतः विपक्षी का अतिक्रमण नही माना जा सकता। अतः कार्यवाही धारा 91 एलआर एक्ट विपक्षी के खिलाफ बन्द की जाती है। '' इस प्रकार तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय मे यह माना गया है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की है परन्तु इंतकाल दर्ज होने से शेष रह गया जिसके कारण घोषणात्मक वाद मे जाना पडा। वकील रेस्पोडेन्ट ने जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक सरिश्ता/03/896 दिनांक 04/07/2003 सूची क्रमांक 35 मि.न. 31/03 प्यारचंद बनाम सरकार मे चाही गयी दाद रिपोर्ट के क्रम मे प्रस्तुत जवाब मे उल्लेख किया है कि मौके पर वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर मौके पर पत्थर की बावड़ी बनाई है। प्रार्थी का आंवटन निरस्त हुआ ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात कायम करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए सम्पूर्ण साक्ष्य रिकार्ड पर लिये गये है तथा तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया गया है।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 5/1984 अनुवानी पटवारी हल्का सेंती बनाम श्री प्यारचंद मे पारित निर्णय दिनांक 11/06/1984 के द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया – '' विपक्षी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के यहां पेश की अपील मे नामान्तकरण संख्या 828/30.06.1981 अपील अपीलान्ट स्वीकार कर खारीज कर दिया गया जिससे जमीन वापस विपक्षी के खाते ही मानी जानी चाहिये। चूकि उक्त निर्णय से जमीन वापिस विपक्षी के खाते मे मानी जावेगी अतः विपक्षी का अतिक्रमण नही माना जा सकता। अतः कार्यवाही धारा 91 एलआर एक्ट विपक्षी के खिलाफ बन्द की जाती है। '' इस प्रकार तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय मे यह माना गया है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की है परन्तु इंतकाल दर्ज होने से शेष रह गया जिसकी वजह से यह लिटिगेशन उत्पन्न हुआ है।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जिस इंतकाल के माध्यम से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज की गई है वह भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा उनके न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मे पारित निर्णय दिनांक 20/02/1982 के माध्यम से खारीज कर दिया गया था जिससे भूमि पुनः रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो जानी चाहिये थी जो नही हो सकी जिसकी वजह से रेस्पोडेन्ट को घोषणात्मक वाद लाना पडा। ऐसी सूरत मे उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा इस प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 13/04/2015 को और बल मिलता है। इस प्रकार विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 16/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 13/04/2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़